न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 151/2025

प्रार्थीगण :-

1. इंसाफ पुत्र स्व. अहमद खान जाति मिरासी (ढाडी) निवासी मोररी नाडी के पास ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 - सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :- 07/1/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 238 रकबा 3.2441 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 740 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी ए आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार नये 915 है। उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि में प्रार्थी का 1/8 वां हिस्सा दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित दोनो खसरान की भूमि में जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में प्रार्थी का सही नाम ईसाफ पिता अहमद दर्ज था। जिसके सम्बंध में वजह सबूत जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश है। इसके आगे की जमाबन्दी सम्वंत् 2065 से 2068 के खतौनी के समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थी का सही नाम इंसाफ के स्थान पर अशुद्ध नाम ईसाक दर्ज कर दिया। जो लिपिकीय त्रुटि इसके बाद की आगे की जमाबन्दी यानि वर्तमान ६ चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में भी उक्त लिपिकीय त्रुटि दर्ज है। इसलिए तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज ईसाक के स्थान पर सही/शुद्ध इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के उक्त खसरान की भूमि में लिपिकीय त्रुटिवश अशुद्ध नाम के कारण उक्त खसरान की भूमि के सम्बंध में सरकारी सुविधा व ऋण इत्यादि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध किये जाने हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा यह कहते हुए प्रार्थी को मना कर दिया कि उक्त अशुद्ध इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2065 से दर्ज चला आ रहा है, इसलिए उक्त अशुद्ध इन्द्राज को अप्रार्थी शुद्ध करने हेतु समक्ष नहीं है, अपितु श्रीमान सक्षम है, इसलिए प्रार्थी द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज ईसाक के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार सही/शुद्ध इन्द्राज ईसाफ शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने से उपरोक्त खसरान की भूमि में दर्ज अन्य सहखातेदार जबार, फकीर मोहम्मद, मोहम्मद अली, शहजाद अली,

सहायक कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

समसुदीन, सायरा के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा व न ही उनके दर्ज हक व अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए उपरोक्त दर्ज सहखातेदारों को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 238 रकबा 3.2441 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 740 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी ए के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज अशुद्ध इन्द्राज ईसाक पुत्र अहमद हिस्सा 1/8 जाति मिरासी सा. देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज इंसाफ पुत्र अहमद खान हिस्सा 1/8 जाति मिरासी सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नंबर 238 की वर्तमान जमाबंदी अनुसार रकबा 3.2441 है किस्म बा.2 व ख.नं. 740 रकबा 1.0113 हैक्टयर किस्म बा.ए. ईसाक पुत्र अहमद हिस्सा 1/8 जाति मिरासी सा.देह खातेदार की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जमाबंदी संवत् 2073-2076 संलग्न है। राजस्व ग्राम खेजडला की सीमा में स्थित खसरा नंबर 238 व 740 की जमाबंदी संवत् 2053-2056 में प्रार्थी का नाम ईसाफ पुत्र अहमद नाम दर्ज है। जाति डाढी सा.दहे खातेदार दर्ज है व इससे आगे की जमाबंदी संवत् 2065-2068 के खाता सं. नया 386 खसरा नंबर 236 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा किस्म बा. 2 व खसरा नंबर 740 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा किस्म बा.ए. में प्रार्थी का नाम ईसाफ पुत्र अहमद हिस्सा 1/8 जाति डाढी सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2053-2056 व 2065-2068 संलग्न है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वर्तमान जमाबंदी में अन्य सहखातेदार जबार पुत्र अहमद, फकीर मेहम्मद पुत्र गफ्फार मेहम्मद पुत्र गफ्फार, मोहम्मद सलीम पुत्र गफार, शहजाद अली पुत्र सलीम खां, समसुदीन पुत्र अलादीन, सायरा पत्नी गफार सहखातेदार भी दर्ज है। हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ईसाक पुत्र अहमद के स्थान पर इंसाफ पुत्र अहमद खान की शुद्धि प्रस्तावित की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खसरा नंबर 238 व खसरा नंबर 740 में प्रार्थी ईसाक पुत्र अहमद हिस्सा 1/8 जाति मिरासी के नाम से खातेदारी में दर्ज है। राजस्व जमाबंदी संवत् 2053-2056 के खाता सं. 271 के खसरा नंबर 238 व खसरा नंबर 740 में प्रार्थी का नाम ईसाफ पुत्र

अहमद जाति ढाडी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम इंसाफ पुत्र अहमद खान के स्थान पर गलत नाम ईसाक पुत्र अहमद दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 238 रकबा 3.2441 तथा खसरा नंबर 740 रकबा 1.0113 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम ईसाक पुत्र अहमद के स्थान पर सही नाम इंसाफ पुत्र अहमद खान जाति मिरासी नाम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 7/12/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा